भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1593

गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/ 24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कानपुर विमानपत्तन से उड़ानें

1593. श्री रमेश अवस्थीः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कानपुर विमानपत्तन से प्रमुख शहरों के लिए और अधिक विमान सेवाएं प्रचालित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं;

(ख) कानपुर विमानपत्तन पर हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) के लिए दो-शिफ्ट में प्रचालन शुरू किए जाने की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार कानपुर विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतारने की सुविधा शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार का कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान के समय को पुनर्निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि यात्री सुबह जल्दी यात्रा कर सकें और शाम को वापस आ सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कानपुर विमानपत्तन के विस्तार की योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : वर्तमान में, इंडिगो कानपुर से बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करती है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ, भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त हो गया है। एयरलाइनें किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने और बाजारों और मार्गों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) और (ग) : कानपुर हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अधिकारक्षेत्र में है, जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) इस हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण करता है। एयरसाइड अवसंरचना और एटीसी सेवाओं का प्रबंधन भारतीय वायुसेवा द्वारा किया जाता है।

रेडियो नेविगेशनल सहायक उपकरणों (जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस), डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी-डायरेक्शनल रेडियो रेंज/डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट (डीवीओआर/डीएमई)) का प्रावधान भी आईएएफ के अधिकार क्षेत्र में है जो रात में लैंडिंग संचालन को सुलभ बनाता है। एयरलाइनों की मांग के आधार पर अपेक्षित सुविधाओं के प्रावधान के लिए समय-समय पर भारतीय वायुसेना के साथ मामला उठाया जाता है।

(घ) : एयरलाइनें बाजार की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और अपनी कंपनी की नीति के आधार पर विशिष्ट मार्ग/शहर पर अपने घरेलू उड़ान कार्यक्रम की योजना बनाती हैं, जिस पर एएआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है।

(ङ) : हवाईअड्डों का विस्तार और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा इसे समय-समय पर भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक कारकों, यातायात की मांग/एयरलाइनों की ऐसे हवाईअड्डों से/के लिए परिचालन करने की स्वेच्छा के आधार पर किया जाता है।

******